

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/अध्या.संवर्ग/सवि./वी./144/2010/1457
प्रति,

भोपाल, दिनांक 24/12/10

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला - सिंगरौली, नरसिंहपुर, धार
मध्यप्रदेश।

विषय:- अध्यापक संवर्ग के अंतर्जिला संविलियन के आवेदकों से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कार्रवाई उपरांत
कमीपूर्ति के संबंध में


—0—

अध्यापक संवर्ग के अंतर्जिला संविलियन हेतु विभिन्न माध्यमों से प्राप्त आवेदनों का मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश/ज्ञाप दिनांक 08.11.05, 21.12.05 एवं 26.04.08 के अंतर्गत परीक्षण उपरांत आपके जिले के निम्न तालिका में अंकित आवेदन के सामने कॉलम-5 में उल्लेखित आवश्यक अभिलेखों की कमीया पाई गई है। ऐसे आवेदकों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र	शिक्षाकमी का नाम वर्ग (अध्यापक संवर्ग) एवं कार्यरत शाला का नाम	कार्यरत निकाय का नाम	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला का नाम	रिमांक
1	2	3	4	5
1	श्रीमती आरती नामदेव सहायक अध्यापक शा.ई.जी.एस.शा. छीवा जिला सिंगरौली	जनपद पंचायत देवसर जिला सिंगरौली जा.क्र.निरंकदि. निरंक	जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ जिला कटमी जा.क्र.3506 दि.29.09.09	आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ संविलियन चाहे गये निकाय की अनापत्ति प्रमाण पत्र में शाला का नाम अंकित नहीं है। प्राप्त होने पर संविलियन हेतु विचार किया जा सकेगा।
2	श्री पंजाबराव काप्से (विकलांग) सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. सागोनी जिला नरसिंहपुर	जनपद पंचायत चांवरपाठा जिला नरसिंहपुर जा.क्र.669दि. 23.3.10	निरंक	आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ संविलियन चाहे गये निकाय की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं की गई है। प्राप्त होने पर संविलियन हेतु विचार किया जा सकेगा।
3	श्री राधेश्याम मई सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. लारोद जिला धार	निरंक	निरंक	शासन निर्देश दिनांक 8.11.05 के अनुसार पुरुष अध्यापकों को संविलियन की पात्रता न हाने के कारण संविलियन किया जाना संभव नहीं है।

अतएव इस संबंध में आपके स्तर से नियमानुसार कार्यवाही करते हुए संबंधितों को अवगत कराने का
कष्ट करें।

“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”


उप संचालक 24/12/10
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 24/12/10

क्रमांक/अध्या.संवर्ग/सवि./बी/144/2010/1461
प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला - सीहोर/भोपाल
मध्यप्रदेश।

विषय:- अध्यापक संवर्ग के अंतर्जिला संविलियन संबंध में
—0—


विषयांतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अंतर्जिला संविलियन हेतु जारी निर्देशों के क्रम में निम्नानुसार संविलियन हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं :-

क्रमांक	शिक्षाकर्मी का नाम वर्ग (अध्यापक संवर्ग) एवं कार्यरत शाला का नाम	कार्यरत निकाय का नाम	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला का नाम
1	2	3	4
1	श्रीमती सुषमा मालवीय सहायक अध्यापक शा.क.मा.शा. विलकिसगंज जिला सीहोर	जनपद पंचायत सीहोर जिला सीहोर जा.क्र.2592दि. 29.7.10	नगरपालिक निगम भोपाल जिला भोपाल जा.क्र.300 दि.09.11.10 शा.प्रा.शा. अयोध्या नगर
2	श्रीमती विमला मालवीय सहायक अध्यापक शा.क.मा.शा. विलकिसगंज जिला सीहोर	जनपद पंचायत सीहोर जिला सीहोर जा.क्र.2593दि. 29.7.10	नगरपालिक निगम भोपाल जिला भोपाल जा.क्र.301 दि.09.11.10 शा.प्रा.शा. अयोध्या नगर

उक्त दोनों सहायक अध्यापिकाएं आपके जिले की एक ही संस्था से भोपाल की एक ही संस्था में संविलियन चाहा है।

अतः उक्त के संबंध में यह स्पष्ट करें कि सीहोर जिले से संविलियन होने के उपरांत उक्त संस्था शिक्षक विहीन तो नहीं हो जायेगी तथा भोपाल जिले की जिस संस्था में नगर निगम भोपाल द्वारा संविलियन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। वहां अतिशेष की स्थिति तो निर्मित नहीं हो जाएगी।

उपरोक्त जानकारी फैंक्स/ई-मेल के माध्यम से 03 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करें।
"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"


उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/अध्या.संवर्ग/संवि./बी/143/2010/1455
प्रति,

भोपाल, दिनांक 24/12/10

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला - सीहोर, ग्वालियर, भिण्ड, जबलपुर,
उज्जैन, दतिया, सिंगरौली
मध्यप्रदेश।

विषय:- अध्यापक संवर्ग के अंतर्जिला संविलियन के आवेदकों से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कार्रवाई उपरांत कमीपूति के संबंध में

—0—

अध्यापक संवर्ग के अंतर्जिला संविलियन हेतु विभिन्न माध्यमों से प्राप्त आवेदनों का मध्यप्रदेश शासन सकूल शिक्षा विभाग के आदेश/ज्ञाप दिनांक 08.11.05, 21.12.05 एवं 26.04.08 के अंतर्गत परीक्षण उपरांत आपके जिले के निम्न तालिका में अंकित आवेदन के सामने कॉलम-5 में उल्लेखित आवश्यक अभिलेखों की कमीया पाई गई है। ऐसे आवेदकों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	शिक्षाकर्मी का नाम वर्ग (अध्यापक संवर्ग) एवं कार्यरत शाला का नाम	कार्यरत निकाय का नाम	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला का नाम	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5
1	श्रीमती शाभा विजयवर्गीय अध्यापक शा.मा.वि. रामनगर जिला सीहोर	जिला पंचायत सीहोर जिला सीहोर जा.क्र.3669दि 25.06.09	नगरपालिक निगम भोपाल जिला भोपाल जा.क्र.23दि 26.06.09 शा.हाईस्कूल मालीखेडी	आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संलग्न नगर निगम भोपाल की अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 26.06.09 की प्रस्तुत की गई है। वर्तमान में उल्लेखित शरथा में पद रिक्त है अथवा नहीं? पुष्टि करें।
2	श्रीमती मजू गुप्ता अध्यापक शा.मा.शा. ने.डोककला जिला ग्वालियर	निरक	जिला पंचायत दतिया जिला दतिया जा.क्र.4193दि 08.11.10 शा.मा.शा. जोहरिया	आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ कार्यरत निकाय की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं की गई है। प्राप्त होने पर संविलियन हेतु विचार किया जा सकेगा।
3	श्रीमती आभा सक्सेना अध्यापक शा.मा.शा. राऊपुरा जिला भिण्ड	निरक	नगर निगम ग्वालियर जिला ग्वालियर जा.क्र.661दि 28.10.10 शा.मा.शा. महारानी क्रमांक-1 लश्कर	आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ कार्यरत निकाय की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं की गई है। प्राप्त होने पर संविलियन हेतु विचार किया जा सकेगा।
4	श्रीमती अंकिता जैन अध्यापक शा.हाईस्कूल मझगवा जिला जबलपुर	जिला पंचायत जबलपुर जिला जबलपुर जा.क्र.1775दि 21.04.10	निरक	आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ संविलियन चाहे गये निकाय की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं की गई है। प्राप्त होने पर संविलियन हेतु विचार किया जा सकेगा।


5	श्रीमती रोशी जहाँ अध्यापक शा.मा.वि. चौदमुख जिला उज्जैन	जिला पंचायत उज्जैन जिला उज्जैन जा.क्र.4689दि 17.05.10	नगरपालिका परिषद जावर जिला रतलाम जा.क्र.7078दि 19.02.10	आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ संविलियन चाहे गये निकाय की अनापत्ति प्रमाण पत्र में शाला का नाम अंकित नहीं है। प्राप्त होने पर संविलियन हेतु विचार किया जा सकेगा।
6	श्रीमती मोहिता गुप्ता अध्यापक शा.मा.वि. लेतरा जिला दतिया	जिला पंचायत दतिया जिला दतिया जा.क्र.2717दि 31.07.10	निरंक	आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ संविलियन चाहे गये निकाय की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं की गई है। प्राप्त होने पर संविलियन हेतु विचार किया जा सकेगा।
7	श्री गंगा प्रसाद पाण्डेय (विकलांग) अध्यापक शा.पूर्वमा.वि. समूद जिला सिंगरीली	निरंक	निरंक	आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ दोनों निकायों की अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं विकलांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्राप्त होने पर संविलियन हेतु विचार किया जा सकेगा।


अतएव इस संबंध में आपके स्तर से नियमानुसार कार्यवाही करते हुए संबंधितों को अवगत कराने का कष्ट करें।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

पृष्ठा क्रमांक/अध्या.संवर्ग/संवि/वी/143/2010/1456
प्रतिलिपि-

1. संबंधित जिला पंचायत/जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।
2. संबंधित आवेदक/आवेदिका मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।


उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 24/12/10


उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश